कार्यालय कुलसचिव
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/ए.आर.जी./निविदा./2721/2020–21 **दिनांक 18/12/2020**

<u>व्यवसायिक सेवा प्रदाता (सुरक्षा) कार्य हेतु</u>
<u>निविदा विज्ञप्ति</u>

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा एंव विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की विभिन्न ईकाईयों में सुरक्षा कर्मी हेतु **व्यवसायिक सेवा प्रदाता (सुरक्षा) कार्य हेतु** मुहरबंद निविदायें दिनांक 08/01/2021 को कार्यालीय समय सायः 04:30 बजे तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org पर उपलब्ध है।

निविदा प्रपत्र की कीमत (Tender Cost) रूपये 2000/– (अंकन रुपये दो हजार) से भारतीय पोस्टल आर्डर/धनादेश नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सहायक कुलसचिव (सामान्य), जबलपुर के नाम से ही मान्य किये जावेगे, जो निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को रखना अनिवार्य है, उक्त राशि वापिस योग्य नही है ।

प्राप्त निविदा में प्रथम लिफाफा (तकनीकी पत्रक) दिनांक 12/01/2021 को समय प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय की क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। द्वितीय लिफाफा (दर पत्रक) का लिफाफा (केवल तकनीकी पत्रक में सफल निविदाकारों का) दिनांक 15/01/2021 को समय प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय की क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा ।

संलग्नः–

1. निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तें
2. प्रपत्र ''अ'' तकनीकी पत्रक एंव प्रपत्र ''ब'' दर पत्रक हेतु

कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

व्यवसायिक सेवा प्रदाता (सुरक्षा) कार्य हेतु निविदा विज्ञप्ति

कंमाक/ए.आर.जी./निविदा./2721/2020–21 दिनांक 18/12/2020

विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों में सम्पूर्ण सुरक्षा संबंधी व्यवसायिक सेवा प्रदाता (सुरक्षा) कार्य हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 08/01/2021 को कार्यालीय समय सांयः 04:30 बजे तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है।

शर्ते :–

1. यह सेवाएँ कार्य आदेश दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेगी एवं कुलसचिव, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर को अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी तथा कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन जबलपुर में संचालित विभिन्न इकाइयों में होगा।
2. निविदाकार द्वारा कुलसचिव ना.दे.प.चि.वि.वि. जबलपुर के पक्ष में धरोहर राशि 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/- नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सहायक कुलसचिव (सामान्य), जबलपुर के नाम से ही निर्धारित प्रपत्र में जमा करनी होगी । सफल उम्मीदवार की राशि कार्य उपरांत वापिस की जावेगी एवं असफल उम्मीदवारों का बैंक ड्राफ्ट एक माह के अन्दर वापिस प्राप्त की जा सकेगी। केवल बैंक ड्राफ्ट ही मान्य होगा बैंक चैक अमान्य होंगे । वापिस की जाने वाली सुरक्षा निधी राशि में कोई ब्याज देय नही होगा।
3. **विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों/संस्था भवन परिसर एंव अन्य में जान माल एवं सम्पत्ति की 24 घण्टों की सम्पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता पर होगा। संस्था की परिसर की 24 घंटे सुरक्षा 3 पाली में की जावेगी ।**
4. निविदाकार/सुरक्षा एजेंसी द्वारा सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों/सुरक्षा पार्सन्स जिला सैनिक कल्याण बोर्ड या सेना प्लेसमेंट बोर्ड में पंजीकरण को ही केवल कार्य पर रखा जायेगा, जिनकी सूची अनुबंध के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
5. समस्त सुरक्षा कर्मी हर समय वर्दी में कार्य पर उपस्थित रहेंगे वर्दी पर सुरक्षा कर्मी का नेम प्लेट/पहचान पत्र लगी एवं संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आगन्तुक सज्जनों से सम्मानजनक व्यवहार करेगें।
6. नियुक्त कर्मियों के वेतन भत्तों आदि के नियमानुसार भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी, जिसे निविदाकर्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा श्रम संबंधी कानूनो/संवैधानिक कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए स्वयं के स्तर से करेगा।
7. एजेंसी द्वारा, कार्य एंव मजदूरी के भुगतान के प्रावधानों का पालन अधिनियम 1936 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ठेकेदार की लेबर (विनियम और उत्सादन अधिनियम) 1970, निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) Act.2005 या उसके संशोधन या उससे संबंधित किसी भी अन्य कानूनों और नियमों के तहत वहाँ समय–समय पर अनिवार्य रुप से किए जावेगे।
8. यदि लागू होने वाले श्रम कानूनों जैसे – फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम न्यूनतम वेतन अधिनियम, ई.पी. एफ. अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन बावत्, कुलसचिव को नोटिस प्राप्त होता है एवं दण्ड निर्धारित किया जाता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा एवं वि.वि. को यह अधिकार होगा कि निविदाकर्ता को दिये जाने वाले भुगतान से तत्संबंधित राशि समायोजन कर लें।
9. निविदाकर्ता को समस्त कर्मियों के नाम, पता, आयु, फोटो, मेडिकल फिटनेस एवं पुलिस सत्यापन करवा कर प्रमाण–पत्र अनुबंध के समय प्रस्तुत करने होगे।
10. निविदाकर्ता को कार्यकाल हेतु काम के घंटे के दौरान साफ और स्वच्छ वर्दी, चमड़े की बेल्ट, टोपी, सीटी, बूट, मशाल, लाठी, रजिस्टर, बंदूक (गनमैन के लिए) आदि आवष्यक सामग्री स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। निविदा के द्वारा ही अपने स्वयं के व्यय पर रात्रि गश्त हेतु वाहन एवं इंधन उपलब्ध कराना होगा।
11. निविदाकर्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति का नियोजन नहीं करेगी। जिसे सेना/अन्य संस्था से दुराचार के कारण सेवा से निश्कासित किया गया हो।
12. सुरक्षा एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निषेधित व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करें।

13. किसी भी कर्मी के अवकाश अथवा अस्वस्थ होने अथवा अनुपस्थित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। कर्मी की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निविदाकर्ता को संस्था से अनुमति लेना होगी।
14. ड्यूटी के समय यदि कर्मी नशा, हड़ताल, चोरी, गबन आदि में सलंग्न पाये जाने पर संस्था द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
15. संस्था भवन परिसर में चोरी आदि होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई सुरक्षा निविदाकर्ता से की जावेगी।
16. निविदाकर्ता के द्वारा यदि सेवाकाल के दौरान बीच में ही कार्य छोड़ा जाता है तो सुरक्षा राशि जप्त कर ली जावेगी। एजेंसी के कार्य से असंतुष्ठ होने पर विश्वविद्यालय द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दे कर सुरक्षा ऐजेन्सी की सेवाऐं कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
17. निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य प्रकार की शर्तो को मान्य नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं के निविदाकर्ताओं को प्री–क्वालीफिकेषन में उल्लेखित कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. निविदाकार से दरें संपूर्ण माह (30 दिवस) के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। माह के दौरान किसी कर्मचारी के अवकाश अवधि की राशि का भुगतान करने की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
19. राज्य/केन्द्र शासन को देय राशि का भुगतान करने की जवाबदेही संबंधित एजेंसी की होगी, किसी भी प्रकार की अनिमियतता के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
20. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के कार्य करने की वैधानिक पंजियां, उपस्थित पंजी, मस्टर रोल, अवकाश पंजी आदि का संधारण करेगे तथा समय–समय पर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
21. पेनाल्टीः– कुलसचिव एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सुरक्षाकर्मी के प्रति असजग पाये जाने पर प्रतिकर्मी रुपये 500/– (अंकन पाँच सौ रुपये) का प्रति निरीक्षण दण्ड के रुप में से कटौती की जा सकती है। सुरक्षा कर्मियों कर निरीक्षण करने पर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कर्मी के कार्य से अनुपस्थित रहने पर प्रतिकर्मी रु.10,000/– (अंकन रु. दस हजार मात्र) के मान से देयक में से कटौती की जा सकेगी।
22. निविदाकार को आयकर/सेवाकर एक अन्य कोई कर जो तत्समय उस पर चालू होगा उसे वह नियमानुसार काटे/जमा निर्धारित समय सीमा में कराने होगे ।
23. निविदाकार को किसी भी निजी अथवा शासकीय संस्थान में कार्य करने के अनुभव को वरियता दी जायेगी।
24. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर मध्यप्रदेश के श्रम आयुक्त द्वारा निर्णय लिया न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी या सक्षम प्राधिकारी। (गार्ड – अर्ध–कुशल एवं गनमैन – कुशल श्रेणी) तथा निविदाकार द्वारा श्रम आयुक्त द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की प्रचलित दरों से कम अपने कर्मचारियों को भुगतान नही किया जावेगा।
25. संस्था को यदि अतिरिक्त कर्मियों की आवष्यकता होती है तो इस निविदा से संबंधित निर्धारित नियम एवं शर्तो के अनुसार कर्मी उपलब्ध कराना होंगे।
26. **निविदाये तीन अलग–अलग बन्द लिफाफों में देनी होगी। प्रथम लिफाफे में निविदा की शर्ते, (प्रपत्र 'अ' में दी गई सम्पूर्ण शर्ते) एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ, एवं प्रपत्र की कीमत का ड्राफ्ट, द्वितीय लिफाफें में धरोहर राशि की डी.डी. देनी होगी तथा तृतीय लिफाफे में दर सूची प्रपत्र–ब में देनी होगी।** उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
27. प्राप्त निविदाओं में बड़ा लिफाफा निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें प्रथमतः फिजिकल बिड खोली जायेगी। समिति द्वारा योग्य पाये गये निविदाकारों की फाईनेन्सियल बिड पर कमेटी द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा।
28. सुरक्षा एजेंसियों मुहरबंद लिफाफे पर अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए, स्पष्ट रूप से निविदा संख्या और उद्धरण के प्रकार का अंकन करेगें।
29. निविदा के नियम एवं शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
30. पात्रता के लिए की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें, किसी भी दस्तावेज की कमी की स्थिति में निविदा में कोई भी विचार नही किया जावेगा ।
31. नियुक्त गनमैन के पास निजी विनियम अधिनियम 2005 के तहत् शासकीय बंदूक लाइसेंस होना अनिवार्य।
32. प्रस्तुत की जाने वाली दरों में शासन को देय समस्त राशि ईपीएफ, ईएसआईसी करों अन्य खर्चों आदि शामिल कर प्रस्तुत करने की जबाबदारी निविदाकार की होगी ।
33. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय का सुरक्षित है। जिस हेतु कारण से अवगत नहीं कराया जावेगा।

34. निविदाकार द्वारा किसी भी उप ठेकेदार संलग्न होने या किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी के लिए अनुबंध का स्थानांतरण नहीं होगा।

35. सुरक्षा ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। कुलसचिव, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर को अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

36. निविदाकर्ता निम्न लिखित दस्तावेज एंव जानकारी देगा

निजी सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज लगाना होगा, श्रम लाइसेंस, ईपीएफ, ईएसआईसी, सेवा कर पंजीकरण संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार, पैन नंबर का प्रमाण पत्र, आईएसओ प्रमाणीकरण, धरोहर डिमांड ड्राफ्ट, सुरक्षा कर्मियों के मानदेय हेतु दर का विवरण, स्व–सत्यापित प्रतिलिपियाँ सलंग्न की जावे। किसी भी दस्तावेज की कमी की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

37. विश्वविद्यालय एंव चयनित एजेंसी के मध्यम 500/– रूपये के एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट निविदा/अनुंबंध की शर्तो पर सम्पादित होने के बाद ही एजेंसी को कार्य आदेष जारी किया जावेगा ।

38. सुरक्षा कार्य सम्पादन के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगने अथवा कि भी दुर्घटना होने की स्थिती में विष्वविद्यालय किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रदाय नहीं करेगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।

39. ठेकेदार को भुगतान मासिक आधार पर दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना होगा।

40. विश्वविद्यालय निविदाकार द्वारा रखे सुरक्षा कर्मियों के लिए किसी भी चिकित्सा सुविधा और आवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराएगा।

41. निविदाकर्ता विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों की दोनों चल–अचल संपत्ति की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, निर्धारित स्थानों पर प्रवेष एवं निकास पर संपूर्ण सुरक्षा वर्तमान तथा किसी विषेष परिस्थिती में करने हेतु जिम्मेदार होगा।

42. एजेंसी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक निर्धारित कर्तव्य घंटे से अधिक की तैनाती नहीं होगी।

43. निविदाकार द्वारा सुरक्षा पर लगे कर्मचारियों के वेतन बकाया वेतन आदि के भुगतान बैक के माध्यम से ही शासन को दी जाने वाली समस्त राषि जैसे ईपीएफ इएसआई एंव अन्य जो भी हो कटौती करके करेगें। साथ ही कटौतियों का मासिक विवरण की प्रति विष्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें।

44. सुरक्षा कर्मचारियों के प्रति रोस्टर के रूप में अपने कर्तव्यों के स्थान पर हर समय उपस्थित रहना होगा।

45. एजेंसी विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर और उन स्थानों पर जहां भी आवश्यक हो पर एक रजिस्टर बनाए रखना होगा, और उसका पूरा पता के साथ मेहमान का नाम दर्ज होगा।

46.कुलसचिव, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर को अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बतायें एक माह के पूर्व सूचना एजेंसी को दी जायेगी।

47. माननीय कुलपति जी, ना.दे.प.चि.वि.वि. का निर्णय मान्य न होने पर न्यायिक क्षेत्र जबलपुर ही होगा।

निविदाकार **कुलसचिव**

प्रपत्र–अ

कुलसचिव नानाजी देषमुख पशुचिकित्सा एंव विज्ञान विष्वविद्यालय जबलुपर (म.प्र.)

सेवा हेतु दर निविदा प्रपत्र

प्री–क्वालिफिकेशन संबंधी शर्ते **फिजिकल बिडः–**

निम्न योग्यतायें होना आवश्यक है जिनके प्रामाण के संबंध में सम्बन्धित प्रामाण–पत्रों की छाया–प्रतियाँ लगाया आवश्यक है।

1.	संस्था का नाम एंव पता	....
2.	निविदाकर्ता का नाम एंव पता :	....
3	निविदाकर्ता का दूरभाष / मोबाईल नम्बर एंव ई–मेल :	....
4	संस्था का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन की प्रति संलग्न करें)	....
5	ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण–पत्र	....
6	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण–पत्र	....
7	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र	....
8	रजिस्ट्रेशन / स्थापना पंजीयन / नगर निगम	....
9	श्रम पंजीयन प्रमाण–पत्र	....
10	धरोहर राशि (ड्राफ्ट संलग्न)	बैंक का नामः.. ड्राफ्ट क्रमांक..................दिनांकः..................राषि रू..................
11	निविदा प्रपत्र की कीमत	बैंक का नामः.. ड्राफ्ट क्रमांक..................दिनांकः..................राषि रू..................
12	निविदाकर्ता / संस्था का पेन नं (पेनकार्ड एवं विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें)	
13	अनुभव विवरण (इसी तरह के संगठनों अर्थात Govt-/Semi Govt-/Govt-aided, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। तैनात सुरक्षा गार्ड की संख्या कम से कम 30 होनी चाहिये)	

कार्यानुभव (प्रमाण संलग्न करें)

क्र.	संस्था का नाम	स्थान	दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण
				....
				....
				....

निविदा प्रपत्र अनुसार जानकारियों की सूची पृष्ठ .... से .... तक संलग्न हैं।

जबलपुर : दिनांक :

फर्म मालिक के
हस्ताक्षर/पूरा पता

प्रपत्र–ब

Financial Bid

RATE FOR DEFFERENT CATEGORY

Rate For Per Month

S. No.	Particulars	**Security Guard**	**Security Guard** (with Arms)
1.	Basic Wages		
2.	E.P.F. Contributions		
3.	E.S.I. Contribution		
4.	Service Charges		
	Total		
5.	Service Tax		
	Total		
1	Other		
2	Other (If any)		
	G. Total		

रिमार्क :– निविदाकार उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि हो तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण देते हुये पृथक से प्रस्तुत करें, उन्ही मदों को शामिल किया जावे, नियमानुसार देय हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम/संस्था का नाम

मैंने उपर्युक्त कार्य से संबंधित .... की निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं नियमों को भली–भांति पढ़ एवं समझ लिया है। मुझे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम स्वीकार हैं। इस कार्य हेतु मैं एतद् द्वारा उपर्युक्त दरों का प्रस्ताव देता हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम/संस्था का नाम